न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कक्ष सं0 10 इलाहाबाद।

UPAD040290572022

परिवाद सं0 268/2022

सरिता **बनाम** मयंक आदि

25.07.2022

पत्रावली आज आदेशार्थ पेश हुई। परिवादिनी मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। परिवादिनी द्वारा विपक्षीगण के विरूद्ध एक प्रार्थनापत्र डी0आई0जी0 इलाहाबाद के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 27.04.2015 को मुकदमा पंजीकृत करके विवेचना कराए जाने हेतु आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के अनुपालन में सम्बंधित थाने में विपक्षीगण के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया तथा विवेचक द्वारा विवेचनोपरांत मु0अ0सं0 170/2015 अन्तर्गत धारा 323, 504, 498ए भा0दं0सं0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम थाना शिवकुटी जनपद इलाहाबाद में अंतिम आख्या सं0 01/2016 न्यायालय के समक्ष प्रेषित कर दी गयी। जिस पर न्यायालय द्वारा सुनवाई के उपरांत उक्त अंतिम आख्या को दिनांक 05.12.2019 को निरस्त करते हुए उक्त मामले को परिवाद के रूप में पंजीकृत किया गया।

सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

पत्रावली के परिशीलन से विदित होता है कि परिवादिनी ने अपने परिवादपत्र में किए गए कथनों के समर्थन में स्वयं का बयान अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 एवं अपने कथन के समर्थन में धारा 202 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत अपने चाचा सिंहासन सिंह का बयान अंकित कराया है।

आवेदिका ने दिनांक 07.07.2015 को विपक्षीगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना शिवकुटी जनपद इलाहाबाद में पंजीकृत करायी थी। बाद विवेचना विपक्षीगण के विरूद्ध अंतिम आख्या सं0 01/2016 न्यायालय के समक्ष प्रेषित की गयी जिस पर आवेदिका ने प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया जिसे न्यायालय द्वारा परिवाद के रूप में स्वीकार किया गया। आवेदिका के बयान अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 व उक्त अंतिम रिपोर्ट में प्रस्तुत साक्षियों के बयान के परिशीलन से यह स्प्ष्ट है कि आवेदिका का पति व्यवसाय से डाक्टर है, जो महाराष्ट्र में निवास करता है जिसको एक पुत्र भी है। उभयपक्षों के बीच आपसी मतभेद को लेकर विवाद परिलक्षित होता है। पत्रावली पर विपक्षीगण को तलब किए जाने हेतु पर्याप्त आधार परिलक्षित नही होता है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए विपक्षीगण को तलब किए जाने का आधार पर्याप्त नही है। परिवादिनी द्वारा प्रस्तुत उक्त परिवाद धारा 203 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत निरस्त किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

परिवादिनी सरिता सिंह द्वारा प्रस्तुत परिवाद धारा 203 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 25.07.2020

(शैलेश कुमार मौर्य)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कक्ष सं010 इलाहाबाद।
जे0ओ0 कोर्ड नं0 2290